हिमाचल प्रदेश सरकार
राज्य कर एवं आबकारी विभाग

सं0 ई.एक्स.एन.–एफ0.(10)–5/2025 शिमला–2, 16.10.2026.

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 63 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्या ई.एक्स.एन.–एफ0.(5)–4/2005 तारीख 02 दिसम्बर, 2005 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में तारीख 7 दिसम्बर, 2005 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2005 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**.– (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) नियम, 2026 है।

(2) ये नियम राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **नियम 37–क का प्रतिस्थापन**.– हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2005 के नियम 37–क के स्थान पर निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"**37–क. कर, बकाया मांग व अन्य राशि का आज्ञापक इलैक्ट्रॉनिक भुगतान**.– नियम 37 में किसी बात के होते हुए भी ऐसी तारीख से और व्यौहारियों के ऐसे वर्ग द्वारा, जैसा/जैसे राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित की जाए/किए जाएं, कर, मांग या किसी अन्य राशि का संदाय, राज्य कर एवं आबकारी विभाग की वैब पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रोनिकली किया जाएगा। जहां संदाय इलैक्ट्रोनिकली किया जाता है, वहां प्राधिकृत बैंक ऐसे ई–चालान (जिसे ई–पेमेन्ट स्क्रोल कहा गया है) की विवरणी को, प्ररूप–42 में राज्य के सम्बद्ध खजाने को प्रतिदिन भेजेगा और ऐसी विवरणी की एक प्रति महालेखाकार, हिमाचल प्रदेश को भी अग्रेषित की जाएगी। इन नियमों के प्रयोजन के लिए संदाय की तारीख वही होगी, जो प्ररूप–2–क में ई–चालान पर जमा करने की तारीख है।

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन रजिस्ट्रीकृत सभी व्यौहारी, राज्य कर एवं आबकारी विभाग के वेब पोर्टल के माध्यम से कर का संदाय आज्ञापक रूप से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से करेंगे।"।

आदेश द्वारा

डॉ0 यूनुस
सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)
हिमाचल प्रदेश सरकार

UNOFFICIAL COPY Simplifying Compliance

[Authoritative English Text of this Department's Notification No. EXN-F(10)-5/2025 dated 16.10.2026 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India

Government of Himachal Pradesh
Department of State Taxes & Excise

No. EXN-F(10)-5/2025 Dated: Shimla-171002, the 16th October, 2026.

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub-section(1) of section 63 of the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 12 of 2005) the Governor of Himachal Pradesh, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Value Added Tax Rules, 2005, notified vide notification No. EXN-F(5)-4/2005 dated 2nd December, 2005 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra ordinary) on dated 7th December, 2005, namely: —

1. **Short title and commencement**.- (1) These rules may be called the Himachal Pradesh Value Added Tax (Amendment) Rules, 2026.

   (2) They shall come into force from the date of publication in Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

2. **Substitution of rule 37 A**.- In the Himachal Pradesh Value Added Tax Rules, 2005, for the rule 37A, following shall be substituted, namely:-

   "**37-A Mandatory electronic payment of tax, demand and other sum**.- Notwithstanding anything contained in rule 37, from such date and by such class of dealers, as may be decided by the State Government, the payment of tax, demand or any other sum shall be made electronically through the web portal of the State Taxes and Excise Department. Where the payment has been made electronically, the authorized bank shall also forward a statement of such e-challan (called as e-payment scroll) daily in Form VAT XLII to concerned treasury of the state and a copy of such statement shall also be forwarded to the Accountant General, Himachal Pradesh. The date of payment for the purpose of these rules shall be the date of deposit generated on the e-challan in Form VAT-II-A.

   All dealers registered under the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 shall compulsorily pay tax electronically through the portal of the State Taxes and Excise Department."

By Order

Dr. Yunus
Secretary (ST&E) to the
Government of Himachal Pradesh

UNCOMPLYCAT
Simplifying Compliance